International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 3; Issue 5; May 2017; Page No. 103-104

भूटान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – वर्तमान प्रयास

Rashmi Meena

Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

भूटान दक्षिण एषिया का भू–बद्ध लघु राज्य है। यह भारत की उत्तर–पूर्वी सीमा पर स्थित है। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म विकासात्मक प्रक्रिया से हुआ न कि क्रांति से। भूटान में विकेन्द्रीकरण के प्रयासों को विभिन्न चरणों में बाँटा जा सकता है।

प्रथम चरण – विकेन्द्रीकरण के प्रारंभिक प्रयास
द्वितीय चरण – विकेन्द्रीकरण के वर्तमान प्रयास

विकेन्द्रीकरण के प्रारंभिक प्रयासों का पुनरीक्षण

इस भाग में सन् 1637 से 1972 तक हुए प्रयासों को समयबद्ध घटनाक्रम में रखने का प्रयास किया गया है।

(अ) शाबद्रंग थुछेन गेवॉग नमग्याल के शासन के अधीन विकेन्द्रीकरण

1907 से पूर्व शाबद्रंग थुछेन गेवॉन नमग्याल द्वारा स्थापित दोहरी व्यवस्था में प्रशासन के कई रूप थे। उसे बारह वर्ष की आयु में उसके दादा को हटाकर द्रुकपा सम्प्रदाय का प्रमुख मठाधीष बनाया गया। अत्यधिक विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने में परिस्थितियों ने उसका पूरा साथ दिया तदानुसार उसने शासन पद्धति को दो पक्षों की पूर्ति हेतु निरूपित किया जो निम्न है।

(1) धर्म निरपेक्ष (2) धार्मिक

धार्मिक अत्यधिक विकेंद्रित छोएसी प्रणाली निरूपित की जिसमें सन् 1651 में तिब्बत में प्रचलित प्रणाली से भी कुछ अंश लिए थे। इस दोहरी प्रणाली में उसने प्रषासनिक शक्तियों और अधिकारों को विकेन्द्रित किया और अपने दो अत्यंत विश्वसनीय अनुयायियों को जो दोनों ही गेलूंग मठ के लामा थे धार्मिक एवं लोक प्रशासन के मुखिया के रूप में नियुक्त किया। इनमें पहले के जेकनपो बनाया और उसे सम्पूर्ण भूटान में सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा। उसे शाबद्रंग अल्पसंख्यकों के प्रशासक के रूप में भी सत्ता सौंपी गई।

दूसरे को द्रुकदेसी की पदवी के साथ लोक प्रशासन का प्रभारी बनाया गया। लोक प्रशासन को पदसोपानात्मक बनाने के लिए उसने राज्य की शक्तियों व सत्ता को विघटित किया जिसके अन्तर्गत द्रुकदेसी न्यायालय, प्रांतों के पेनलोप जॉगपोन, देवाईड्रोनर, जिम्पोन और गप आदि कार्यकारी संस्थाएँ थी। पूरे देश को क्षेत्रों व जिलों में बांटा गया और प्रशासनिक शक्तियाँ विघटित की गई।

उसने अपनी धार्मिक सत्ता एक मठ समिति जिसमें 30 सदस्य थे, और अधिकतर तिब्बती अनुयायी और उनके नये क्षेत्रीय अनुयायी थे, को हस्तांतरित कर दी यह समिति उसके प्रशासन व धर्म प्रचार में सहायता में सहायता करती थी। शागद्रंग मठों के सैनिक संतो से युक्त सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का केन्द्र जॉग संस्था थी जो देश में विकेन्द्रीकरण के उद्देष्यों और दर्शन का नियमन करती थी।

(ब) प्रथम दो राजाओं के शासन में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तिया रही

भूटान में वंषानुगत राजतंत्र का उदय हुआ विकेन्द्रित प्रणाली को शक्तिशाली टॉगसा पेनलोप द्वारा हड़प लिया गया और पहले दो राजा (सन् 1907 से 1952 तक) व्यवस्था को केन्द्रीकृत करने में सफल रहे, और यह अवधि केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों के रूप में जानी गयी।

(स) तीसरे शासक के अधीन विकेन्द्रीकरण के प्रयास

तीसरे शासक के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण के प्रयासों द्वारा भूटान में एक नये युग का आरम्भ हुआ शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का पहला चरण सन् 1953 में शुरू हुआ। जब शोंगडू की स्थापना शाही आदेश द्वारा की गई। शोंगडू के निर्माण में भूतपूर्व राजा का जो भी उद्देश्य रहा हो लेकिन इसका निर्माण निर्णय के आधार को बढ़ाने के लिए शक्तियों का फैलाव करना था। सन् 1961 में ग्येलोन चिकाप के अधीन एक अलग विकास सचिवालय स्थापित किया गया। सन् 1965 में एक सभा (लोडी शोडी) का निर्माण किया गया इसमें 9 सदस्य थे। इनमें छह जनता के, दो मठ सम्प्रदाय के तथा एक सरकार का प्रतिनिधि था एवं तीसरे राजा ने ही क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन का भी पुनर्गठन विकास की इकाई के रूप में प्रशासनिक शक्तियों को निचले स्तर तक बाँटने के लिए किया। सन् 1960 के दशक में केन्द्रीय प्रशासन के कारण जिला स्तरीय प्रशासन और उसके स्वरूप व ढाँचें में परिवर्तन क्षेत्रीय स्तर तक हुए जैसे कि विकास सचिवालय को सन् 1967 में पारो से थिम्फू लाना, 1968 में वृहद् प्रशासनिक शक्तियों से युक्त मंत्रालय परिषद की रचना और सन् 1968 में अलग न्यायपालिका की स्थापना। यह राजकीय सत्ता एवं अधिकारों को अनेक संस्थान निर्मित करके विकेंद्रित करने का महत्वपूर्ण प्रयास था ताकि निर्णय करने की प्रक्रिया में समाज की भागीदारी का आधार विस्तृत किया जा सके।

(द) विकेन्द्रीकरण की योजना (सन् 1972 से वर्तमान तक)

वर्तमान द्रुक ग्याल्पो जिग्में सिंह वांग्चुक, वांग्चुक राजवंश के चौथे शासक के रूप में अपने महान पिता जिग्मे दोरजी वांग्चुक के बाद 24 जुलाई सन् 1972 को सत्ता में आए। उन्होंने जनतंत्रवादी नीतियों के मूल स्वरूप को नवीन ढंग से लागू करने का पूर्वानुमान लगाया उन्होंने शासन में अपने विशवास को पुनः दोहराया और जनता को राहत देने के लिये कुछ रियायतें दी और शासन प्रणाली में विकासात्मक परिवर्तन को समर्थ बनाने का संकल्प लिया।

प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप

भूटान में प्रषासन तीन स्तरीय है। केन्द्रीय प्रशासनिक संस्थाए, जिला प्रशासन और गेवांग प्रशासन। भू–प्रशासनिक आधार पर देश के जिलों में और जिलों को खण्डों और गेवांग में बाँटा गया है। यहाँ 20 जिले व 202 गेवांग है। गेवांग को गांवों में विभक्त किया गया है। और गांवों को गंग में

सन् 1974 में औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठने के पश्चात् वर्तमान शासक ने राजनीतिक एवं प्रषासनिक क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जो प्रशासनिक रूप से सत्ता एवं जनशक्ति का अधिकार जिला स्तर की प्रशासनिक केन्द्रीय समितियों को प्रदान करती थी।
वर्तमान शासक के सिंहासन की सत्ता के विकेन्द्रीकरण को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है।

1. जोंगखाग यार्गी शोगचुंग (जिला विकास परिषद)
सन् 1979 में केन्द्र से सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए सबसे पहला संस्थागत प्रयास जिले के रूप में जोंगखाग और तदानुसार सन् 1981 में जिला विकास परिषद के रूप में जोंगखाग यार्गी शांगचुग की रचना जो विकेन्द्रीकरण क्षेत्रीय संस्थागत सत्ता है।

2. गेवाग यार्गी शोगचुंग (खण्ड विकास परिषद)
महामहिम नरेश द्वारा सन् 1991 में जारी निर्देशों के तहत विकास कार्यों की ओर विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खण्ड विकास परिषद के रूप जी.वाई.टी. प्रत्येक गेवांग (गाँवों का समूह) में स्थापित की गई।

3. योजना आयोग
स्वंतत्र संस्था के रूप में योजना आयोग की स्थापना सन् 1972 में की गयी। आयोग के प्रमुख कार्यों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना, योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बाह्य व आंतरिक संसाधनो को समन्वित व संचालित करना।

4. क्षेत्रीय प्रशासन
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय प्रशासन के एक अंग के रूप में क्षेत्रीय प्रशासन स्थापित किया गया। क्षेत्रीय प्रशासन की अवधारणा का उदय पांचवी पंचवर्षीय योजना सन् (1981 से सन् 1986) के दौरान हुआ। इस स्तर को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना तथा क्षेत्रीय प्रणाली का मूल उद्देश्य विभिन्न जिलों के विकास कार्यों में समन्वय करना था।

5. मंत्रिपरिषद
20 जुलाई 1998 को अर्थात् पाँचवे भूटानी महीने के 27 वें दिन जनता द्वारा निर्वाचित नई मंत्रिपरिषद का तदानुसार गठन किया गया और शाही शासन ने ल्हेंग्येल शन्गत्शोग से शासकीय शक्तियाँ लेकर मंत्रिपरिषद को हस्तांतरित कर दी और वर्तमान प्रणाली में शोंगडू (व्यवस्थापिका) मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। मंत्रिपरिषद में राष्ट्रीय हित के विषयों पर चर्चा, इसके अंतर्गत शासन, कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता आदि है।

विकेन्द्रीकरण के अन्य प्रयास : उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त भूटान सरकार ने विकेन्द्रीकरण के अन्य प्रयास भी किए है। इसके अंतर्गत सरकार ने वित्तीय सत्ता को प्रदत करने का और वित्त मंत्रालय में वित्त समितियाँ स्थापित करने का प्रयास किया था, भूटान में विकेन्द्रीकरण का विचार नीति निर्धारकों और गाँवों की लाभकारी योजनाओं के बीच पूंजी के अंतर को पाटने का है। यदि विकास का मूलमंत्र समाज की स्वंतत्रता है। तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण जनता में आवश्यक प्रथम चरण के रूप में आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।

संदर्भ सची ग्रंथ

1. आर.सी. मिश्रा भूटान इन साउथ एशिया (आविष्कार प्रकाशन जयपुर, 1996)
2. दोरजी रिनचिन : ए ब्रीफ रिलीजियस, कल्चरल एण्ड सेक्यूलर हिस्ट्री ऑफ भूटान, न्यूयार्क : द एशिया सोसायटी, गैलेरीज सन् 1989, पृ.सं. 14–15
3. उरा कर्मा, डीसेन्ट्रलाइजेशन एण्ड डवलपमेन्ट थिम्फू : प्लानिंग कमीशन पृ.सं. 14–15
4. कुंसल, भूटान न्यूज पेपर, दिसम्बर–2 सन् 1979 वाल्यूम गअ पृ.सं.48
5. नेशनल असेम्बली प्रोसीडिंग्स सन् 1979 एसेम्बली सेक्रेटेट, थिम्फू भूटान
6. रिजाल ध्रुबा, द काठमांण्डु पोस्ट, जुलाई 21, सन् 1998 पृ.सं. 4
7. कुंसल, भूटान नेशनल न्यूज पेपर, अगस्त 15, सन् 1988 वाल्यूम गप्प पृ.सं. 32
8. रोज ई. लियो द पॉलिटिक्स ऑफ भूटान, न्यूर्याक : कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, सन् 1977 पृ.सं. 168
9. नेशनल असेम्बली, ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स एण्ड रिवोल्यूषन ऑफ द 77वें सेषन ऑफ द एसेम्बली ऑफ भूटान हेल्ड फ्राम 29.6.99 टू 4.8.99 सितम्बर 18, सन् 1999
10. वर्मा रवि, इंडियाज रोल इन द इमर्जेस ऑफ कन्टेम्परारी भूटान, दिल्ली : कैपिटल पब्लिसिंग हाउस, सन् 1988 पृ.सं. 159